अनुदान संख्या 84 - पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
GRANT No. 84 - MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	14005,24,00	14005,25,00	13079,27,89	-925,97,11
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				925,95,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2215”	Major Head “2215”				
जलापूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	1260000.00			
पू.	S.	1.00	1307406.59	1307405.59	- 1.00
पु.	R.	47405.59			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	140000.00	..	..	..
पु.	R.	-140000.00			

(I) ₹140000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹140000.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under Major Head “2552” – under the following heads:-

(का) “जलापूर्ति - ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” - ₹86488.00 लाख;

(A) “Water supply – Rural water supply programme – National Rural Drinking Water Programme” – ₹86488.00 lakhs;

(खा) “मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - समग्र सफाई अभियान” - ₹35000.00 लाख;

(B) “Sewerage and Sanitation – Sanitation services – Total Sanitation Compaign” – ₹35000.00 lakhs;

(गा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” - ₹7114.00 लाख; और

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes – Rural Drinking Water Programme” – ₹7114.00 lakhs; and

(घा) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” - ₹11398.00 लाख।

(D) “Tribal Area Sub-Plan – Rural Drinking Water Programme” – ₹11398.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds / funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2215” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head “2215” - savings occurred under the following heads:-

(का) “जलापूर्ति - ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम - राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन” - ₹388.72 लाख की बचत (₹763.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) “Water Supply - Rural Water Supply Programme - Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission”- saving of ₹388.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹763.00 lakhs) was due to receipts of less viable proposals from the implementing agencies and economy measures.

(खा) “मलजल और सफाई”-

(B) “Sewerage and Sanitation”-

(क) “सफाई सेवाएं - समग्र सफाई अभियान ” - ₹35648.67 लाख की बचत (₹203000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) “Sanitation Services - Total Sanitation Campaign”- saving of ₹35648.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹203000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - समग्र सफाई अभियान” - ₹22001.00 लाख की बचत (₹77000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Total Sanitation Campaign”- saving of ₹22001.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹77000.00 lakhs); and

(ग) "जनजाति क्षेत्र उप योजना" - समग्र सफाई अभियान" - ₹10001.01 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Total Sanitation Campaign"- saving of ₹10001.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹96934.99 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2013 में मुख्य शीर्ष "2215" - "जलापूर्ति - ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹96933.99 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹96934.99 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2013 under Major Head "2215" – "Water Supply - Rural Water Supply Programme - National Rural Drinking Water Programme". Actual excess, however, was ₹96933.99 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2215" - "जलापूर्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2215" – "Water Supply" – under the following heads:-

(का) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" - ₹7113.00 लाख का अधिक व्यय (₹223886.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; तथा

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Rural Drinking Water Programme" – excess of ₹7113.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹223886.00 lakhs); and

(खा) "जनजाति क्षेत्र उप योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" - ₹11397.00 लाख का अधिक व्यय (₹93602.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - National Rural Drinking Water Programme" – excess of ₹11397.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹93602.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.